S 121

Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE/No. 126/06.

No.E(MPP)2006/6/11

S.C.No.13 to M.C.8
New Delhi, dated 8 .09.06.

The General Manager (P),
All Indian Railways including
Production Units.

Sub: Forwarding of notification-reg.

Kindly find enclosed a copy of the Notification G.S.R. 117 dated 15th May,2006 published in Part II, section 3, sub-section(I) of the Gazette of India on 20th May, 2006 issued by Ministry of Labour & Employment Directorate General of Employment & Training relating to the revising of the entry qualification in respect of designated trades Foundry Man Sheet Metal Worker, Welder(Gas & Electric) and Carpenter of amending the Apprenticeship Rules 1992 under the Apprentices Training Scheme, for information and necessary action.

Please acknowledge receipt.

DA: as above.

(P. Ananth)
Director (Manpower Planning)
Railway Board.

No.E(MPP)2006/6/11

New Delhi, dated 8 .09.2006.

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, for information with 35 spares.
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi, for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi, for information with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (90 spares.)

For Secretary, Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं. 126/2006
एस सी सं. 8 का एस सी सं. 13

सं. ई (एम पी पी)2006/6/11 नई दिल्ली, दिनांक 8 .9.2006

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें
उत्पादन इकाइयों सहित

विषय : अधिसूचना को अग्रेषित करने के संबंध में.

शिक्षु प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत शिक्षु नियम 1992 को संशोधित करके डेजिगनेटिड ट्रेडस फाउंडरी मैन शीट मेटल वर्कर, वेल्डर (गैस एवं बिजली) एवं बढ़ई के संबंध में प्रविष्टि अर्हता के संशोधन से संबंधित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी 15 मई 2006 की अधिसूचना सं. स. का. नि. 117 जो भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (1) में 20 मई 2006 को प्रकाशित की गई है, की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है.

कृपया पावती दें.

संलग्नक : यथोक्त.

(पी. अनंत)
निदेशक (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एम पी पी)2006/6/11 नई दिल्ली, दिनांक 8 .9.2006

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. महासचिव, इरपोफ कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, राष्ट्रीय कौंसिल,13- सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 520—521

Dated 20-5-2006

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2006

सा.का.नि. 117. —केन्द्रीय सरकार, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शिक्षुता नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षुता अधिनियम की अनुसूची में —

(i) समूह संख्यांक 2 के अधीन, अभिहित व्यवसाय ढलाई मैन से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ 8 में, "शिक्षा के 10 + 2 पद्धति या उसके समतुल्य परीक्षा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण" प्रविष्टि के स्थान पर "शिक्षा के 10 + 2 पद्धति के अधीन या उसके समतुल्य परीक्षा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण" प्रविष्टि (7वीं कक्षा उत्तीर्ण जहां 7वीं कक्षा में टर्मिनल परीक्षा है) रखी जाएगी;

(ii) समूह संख्यांक 3 के अधीन,—

(क) चादर धातु कर्मकार अभिहित व्यवसाय से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तंभ 8 में, "शिक्षा के 10 + 2 पद्धति के अधीन 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समतुल्य परीक्षा" प्रविष्टि के स्थान पर "शिक्षा के 10 + 2 पद्धति के अधीन या उसके समतुल्य परीक्षा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण" पद्धति (7 वीं कक्षा उत्तीर्ण जहां 7 वीं कक्षा में टर्मिनल परीक्षा है) रखी जाएगी;

(ख) वेल्डर (गैस और बिजली) अभिहित व्यवसाय से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने स्तंभ 8 में, "शिक्षा के 10 + 2 पद्धति के अधीन या उसके समतुल्य 10वीं कक्षा उत्तीर्ण" प्रविष्टि के स्थान पर "शिक्षा के 10 + 2 पद्धति के अधीन परीक्षा या उसके समतुल्य 8वीं कक्षा उत्तीर्ण" (7वीं कक्षा उत्तीर्ण जहां 7वीं कक्षा में टर्मिनल परीक्षा है) प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) समूह संख्यांक 5 के अधीन, बढ़ई अभिहित व्यवसाय से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 8 में, "शिक्षा की 10 + 2 पद्धति के अधीन परीक्षा या उसके समतुल्य 10वीं कक्षा उत्तीर्ण" प्रविष्टि के स्थान पर, "शिक्षा के 10 + 2 पद्धति के अधीन परीक्षा या उसके समतुल्य 8वीं कक्षा उत्तीर्ण" (7 वीं कक्षा उत्तीर्ण जहां 7 वीं कक्षा में टर्मिनल परीक्षा है) प्रविष्टि रखी जाएगी ।

[फा. सं. डीजीईएंडटी-2(2)/2005-एपी]

आर. के. आहलुवालिया, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 356 तारीख 1 अगस्त, 1992 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती कानूनी आदेशों द्वारा संशोधित किए गए हैं का.आ. 2144 तारीख 9-10-93 सा.का.नि. 497 तारीख 9-10-93 का.आ. 1041 तारीख 30-4-94, सा.का.नि. 432 तारीख 20-8-94, सा.का.नि. 239 (अ) तारीख 23-3-95 सा.का.नि. 433 (अ) तारीख 10-5-95, सा.का.नि. 806 (अ) तारीख 26-12-95, सा.का.नि. 345(अ) तारीख 31-7-96, सा.का.नि. 390 तारीख 14-9-96, सा.का.नि. 2650 तारीख 14-9-96, सा.का.नि. 494 तारीख 9-11-96, का.आ. 3159 तारीख 9-11-96, सा.का.नि. 496 तारीख 9-11-96, सा.का.नि. 521 (अ) तारीख 16-11-96, सा.का.नि. 560 (अ) तारीख 10-12-96, सा.का.नि. 561(अ) तारीख 10-12-96, का.आ. 860 (अ) तारीख 10-12-96, सा.का.नि. 269(अ) तारीख 21-6-97, का.आ. 1617 तारीख 21-6-97, सा.का.नि. 293 तारीख 10-7-97, सा.का.नि. 338(अ) तारीख 25-9-97,

सा.का.नि. 339 तारीख 17-9-97, सा.का.नि. 349 तारीख 25-9-97, सा.का.नि. 691(अ) तारीख 9-12-97, का.आ. 847(अ) तारीख 9-12-97, सा.का.नि. 150(अ) तारीख 28-3-98, सा.का.नि. 84 तारीख 11-4-98, सा.का.नि. 73(अ) तारीख 7-2-2001, सा.का.नि. 188(अ) तारीख 15-3-2001, सा.का.नि. 375(अ) तारीख 18-5-2001, सा.का.नि. 656(अ) तारीख 18-9-2002, का.आ. 1017(अ) तारीख 18-9-2002, सा.का.नि. 102(अ) तारीख 25-2-2003, सा.का.नि. 300 तारीख 11-8-2003, सा.का.नि. 184 तारीख 25-5-2004, और अंत में सा.का.नि. 5 तारीख 1-12-2005 द्वारा संशोधित किए गए।

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2006

G.S.R. 117.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) the Central Government, after consulting the Central Apprenticeship Council, hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2006.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule 1 to the Apprenticeship Rules, 1992—

   (i) Under Group number 2, against serial number 2 relating to the Designated Trade Foundryman, in column 8, for the entry "Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent", the entry "Passed 8th class examination under 10+2 system of education or its equivalent" (Passed 7th class where terminal examination is in class 7th) shall be substituted;

   (ii) Under Group number 3,—

   (a) against serial number 2, relating to the Designated Trade Sheet Metal Worker, in column 8, for the entry "Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent", the entry "Passed 8th class examination under 10+2 system of education or its equivalent" (Passed 7th class where terminal examination is in class 7th) shall be substituted;

   (b) against serial number 3, relating to the Designated Trade Welder (Gas and Electric), in column 8, for the entry "Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent", the entry "Passed 8th class examination under 10+2 system of education or its equivalent" (Passed 7th class where terminal examination is in class 7th) shall be subsituted;

   (iii) Under Group number 5, against serial number 1, relating to the Designated Trade Carpenter, in column 8, for the entry "Passed 10th class examination under 10+2 system of education or its equivalent", the entry "Passed 8th class examination under 10+2 system of education or its equivalent" (Passed 7th class where terminal examination is in class 7th) shall be subsituted;

[F. No, DGE&T-2(2)/2005-AP]

R. K. AHLUWALIA, Under Secy.

Footnote : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide GSR 356 dated 1st August, 1992 and subsequently amended vide S.O. 2144 dated 9-10-93, G.S.R. 497 dated 9-10-93, S.O. 1041 dated 30-4-94, G.S.R. 432 dated 20-8-94, G.S.R. 239(E) dated 23-3-95, G.S.R. 433(E) dated 10-5-95, G.S.R. 806(E) dated 26-12-95, G.S.R. 345(E) dated 31-7-96, G.S.R. 390 dated 14-9-96, G.S.R. 2650 dated 14-9-96, G.S.R. 494 dated 9-11-96, S.O. 3159 dated 9-11-96, G.S.R. 496 dated 9-11-96, G.S.R. 521 dated 16-11-96, G.S.R. 560(E) dated 10-12-96, G.S.R. 561(E) dated 10-12-96, S.O. 860(E) dated 10-12-96, G.S.R. 269 dated 21-6-97, S.O. 1617 dated 21-6-97, G.S.R. 293 dated 10-7-97, G.S.R. 338 dated 25-9-97, G.S.R. 339 dated 17-9-97, G.S.R. 349 dated 25-9-97, G.S.R. 691(E) dated 9-12-97, S.O. 847(E) dated 9-12-97, G.S.R. 150(E) dated 28-3-98, G.S.R. 84 dated 11-4-98, G.S.R. 73(E) dated 7-2-2001, G.S.R. 188(E) dated 15-3-2001, G.S.R. 375(E) dated 18-5-2001, G.S.R. 656(E) dated 18-9-2002, S.O. 1017(E) dated 18-9-2002, G.S.R. 102 dated 25-2-2003, G.S.R 300 dated 11-8-2003, G.S.R. 184 dated 25-5-2004 and last amended vide G.S.R. 5 dated 1-12-2005.

MGIPRRND—1493 Lab. & Emp./06—500.